



उपस्थिति

1-सुबोध कुमार, सदस्य तकनीकी

2-शशि भूषण मैठाणी, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या – 96/2025-26

श्री पूरन सिंह s/o श्री देव सिंह,

ग्राम – खतीगांव

जिला – पिथौरागढ़।

परिवादी

बनाम्

अधिशाली अभियंता

विद्युत वितरण खण्ड

पिथौरागढ़।

विपक्षी

- वादी ने अपनी शिकायत में बताया है कि उनके घर में लगे मापक की कनेक्शन संख्या PT 11351102516 है, जो BPL श्रेणी का है, जिसमें विद्युत बिल बहुत अधिक आ रहा है। प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 36 दिनांक 10.06.2024 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशाली अभियंता विद्युत वितरण खंड पिथौरागढ़ को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।
- मंच की सुनवाई की तिथि दिनांक 22.07.2025 को शिकायतकर्ता को वीडियो कॉल के माध्यम से सुना गया व विभाग की तरफ से उपखण्ड अधिकारी वि0वि0उप0ख0 पिथौरागढ़ उपस्थित हुई, शिकायतकर्ता के मापक में डम्प रीडिंग 2389 है, जिस आधार पर उपभोक्ता के बिल को संशोधित किया गया है, अब उपभोक्ता के मापक की वास्तविक रीडिंग के अनुसार बिल 15201 मात्र है जिसे जमा किये जाने हेतु उपभोक्ता द्वारा मौखिक सहमति दी गयी है। उक्त पर शिकायतकर्ता ने बिल को एकमुश्त जमा करने में असमर्थता जताई, जिस पर मंच द्वारा शिकायतकर्ता को उक्त बिल को तीन समान किस्तों पर जमा करने की सुविधा प्रदान की गयी, जिस पर शिकायतकर्ता ने भी सहमती व्यक्त की।

आदेश

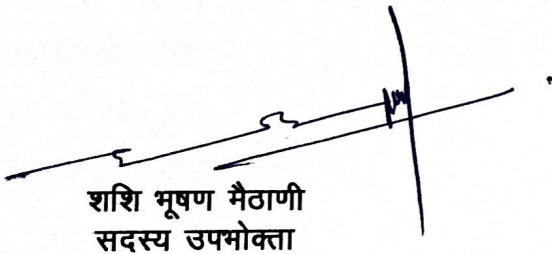
विभाग द्वारा शिकायतकर्ता के मापक में डम्प रीडिंग 2389 को संशोधित कर रू0 15201 का विद्युत बिल निर्गत किया है जिस पर शिकायतकर्ता ने वीडियो कॉल पर सहमति व्यक्त की, किन्तु उक्त बिल को एक मुश्त जमा करने में असमर्थता व्यक्त की।

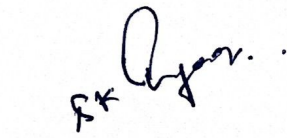
विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त बिल को तीन समान किस्तों में वितरित कर साथ ही वर्तमान बिल उपभोक्ता को निर्गत करे।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉर्म में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक - 29.07.2025


शशि भूषण मैठाणी
सदस्य उपभोक्ता


सुबोध कुमार
सदस्य तकनीकी



उपस्थिति

- 1-सुबोध कुमार, सदस्य तकनीकी
- 2-शशि भूषण मैठाणी, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या – 97/2025-26

श्री संतोष कोहली,
ग्राम – सलकोल, खेती गांव
जिला – पिथौरागढ़।

परिवादी

बनाम्

अधिशाली अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड
पिथौरागढ़।

विपक्षी

1. वादी ने अपनी शिकायत में बताया है कि उनके घर में लगे मापक की कनेक्शन संख्या PT 11351096559 है। जिसमें विद्युत बिल बहुत अधिक आ रहा है। प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 37 दिनांक 12.06.2024 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशाली अभियंता विद्युत वितरण खंड पिथौरागढ़ को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।
2. मंच की सुनवाई की तिथि दिनांक 18.06.2025 को शिकायतकर्ता को दूरभाष माध्यम से सुना गया व विभाग की तरफ से उपखण्ड अधिकारी वि0वि0उप0ख0 पिथौरागढ़ उपस्थित हुई, उन्होंने अवगत कराया कि उपभोक्ता को माह 05/2025 की धनराशि रू0 10830.00 (CDF) बिल निर्गत किया गया जिसे CDF से MU किये जाने पर उपभोक्ता के बिल में 3008 यूनिट डम्प रीडिंग 4978 KWH के आधार पर धनराशि रू0 20879 मात्र बकाया था। जिसके उपरान्त उनके विद्युत बिल को संशोधित कर उनके बिल से धनराशि रू0 11717 का समायोजन कर दिया गया है। वर्तमान में उनके विद्युत संयोजन में धनराशि रू0 9162 मात्र अवशेष है, जो कि उपभोक्ता द्वारा देय है।
3. प्रकरण की अंतिम सुनवाई दिनांक 22.07.2025 को उपस्थित उपखण्ड अधिकारी वि0वि0उप0ख0 पिथौरागढ़ ने अपने पूर्व में दिए गए कथनों को ही दोहराया व अवगत कराया कि शिकायतकर्ता ने दिनांक 20.06.2025 को अपने बकाया बिल रू0 9162 को जमा कर दिया है।

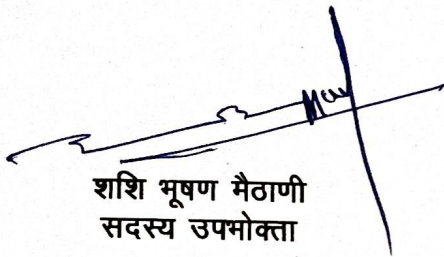
आदेश

विभाग द्वारा वादी का बिल को रू0 20879 से संशोधित कर रू0 9162 कर दिया गया, जिसे शिकायतकर्ता द्वारा जमा कर उक्त पर संतुष्टि जाहिर की है।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉर्म में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक - 25.07.2025


शशि भूषण मैठाणी
सदस्य उपभोक्ता


सुबोध कुमार
सदस्य तकनीकी